

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या-02/रेगु.-02-7053/2025 - 157

पटना, दिनांक- 28 जनवरी, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु कुल मो० 481.00 लाख (चार करोड़ इकासी लाख) रुपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु कुल मो० 481.00 लाख (चार करोड़ इकासी लाख) रुपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2023-28 (चतुर्थ कृषि रोड़ मैप) में कुल 405 गुड़ इकाई लगाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत स्थापित गुड़ इकाईयों के संचालन हेतु गन्ने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ने की फसल का क्षेत्र विस्तार करना आवश्यक है। इस हेतु चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के नये कृषकों को योजना के माध्यम से गन्ना खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनका आर्थिक सर्वद्वन करने संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का कार्यालयवार/संबद्ध चीनी मिलवार एवं गैर मिल क्षेत्रों हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 'क' एवं 'ख' के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट-2 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक होगा।

(5) इस योजनांतर्गत गन्ना बीज विक्रेता/परिवहन एजेन्सी को अनुदान राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(6) संबंधित उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय-समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल सयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेंगे। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना का समीक्षा समय-समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी इस योजना की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा। ईखायुक्त, बिहार, पटना योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा योजनाओं की समीक्षा तथा अनुश्रवण

28/1/2026

समय-समय पर किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित सहायक ईखायुक्त/उप निदेशक, ईख विकास योजना का पर्यवेक्षण करेंगे।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू०)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू०)
1.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08 उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201 चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852082010104	33 01 सब्सिडी	781.72	399.23
2.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या-45-उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2852087890102	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	188.00	76.96
3.	मुख्य शीर्ष 2851-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष -08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उप शीर्ष -0103- गुड़ विकास, कार्यक्रम विपत्र कोड संख्या- 45-2852087960103	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	15.28	4.81
	योग-		985.00	481.00

(9). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(10). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(11). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय लक्ष्य के अधीन आवश्यकतानुसार ईखायुक्त, बिहार द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में बदलाव किया जा सकता है।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561(वि.)2 दि०-17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2 (क) के आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक-09.01.2026 को आयोजित बैठक में प्राप्त है, बैठक की कार्यवाही संचिका के पृ०-48-46/प० पर संधारित है।

(14) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं०-02/रेगु.-02-7053/2025 के पृष्ठ सं०-17/टि. पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-02/रेगु.-02-7053/2025 के पृष्ठ सं०-15/टि. पर प्राप्त है।

28/1/2025

(16) पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-33 स्वी. दिनांक-17.04.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(17) वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन
28/1/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु.-02-7053/2025- 157

पटना, दिनांक- 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु.-02-7053/2025- 157

पटना, दिनांक- 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतीहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/1/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु.-02-7053/2025- 157

पटना, दिनांक- 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु.-02-7053/2025- 157

पटना, दिनांक- 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/2026
ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1 'क'

राज्य योजना के तहत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " अंतर्गत चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार हेतु स्वीकृत कार्य योजना

क्र सं	पदनाम एवं जिला	रकबा (एकड़)	बीज की आवश्यकता @ 25 क्वी० प्रति एकड़ (क्वींटल)	अधिकतम अनुमान्य बीज मूल्य (लाख रु०)	आकस्मिकता व्यय/ बीज परिवहन (लाख रु०)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०) (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, बगहा	100	2500	10.00	1.00	11.00
2	सहायक निदेशक, बेतिया	100	2500	10.00	1.00	11.00
3	सहायक निदेशक, मोतिहारी	100	2500	10.00	1.00	11.00
4	सहायक निदेशक, समस्तीपुर	100	2500	10.00	1.00	11.00
5	सहायक निदेशक, गोपालगंज	100	2500	10.00	1.00	11.00
6	सहायक निदेशक, सिवान	100	2500	10.00	1.00	11.00
7	सहायक निदेशक, सीतामढ़ी	100	2500	10.00	1.00	11.00
	Total	700	17500	70.00	7.00	77.00


ईश्वरियुक्ते, बिहार।

परिशिष्ट-1 'ख'

राज्य योजना के तहत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" अंतर्गत गैर चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार हेतु स्वीकृत कार्य योजना

क्र सं	पदनाम एवं जिला	रकबा (एकड़)	बीज की मात्रा (क्विंटल में)	बीज की आवश्यकता @ 10000 बड प्रति एकड़ (बड की संख्या लाख में)	अधिकतम अनुमान्य बीज मूल्य (लाख रु०)	आकस्मिकता व्यय/ बीज परिवहन (लाख रु० में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०) (6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, मुजफ्फरपुर	150	3750	15	30.00	7.31	37.00
2	सहायक निदेशक, दरभंगा	150	3750	15	30.00	10.12	40.00
3	सहायक निदेशक, गया	150	3750	15	30.00	16.87	47.00
4	सहायक निदेशक, पटना	150	3750	15	30.00	11.25	41.00
5	सहायक निदेशक, भोजपुर	150	3750	15	30.00	11.81	42.00
6	सहायक निदेशक, भागलपुर	150	3750	15	30.00	20.81	51.00
7	सहायक निदेशक, सहरसा	150	3750	15	30.00	15.75	46.00
8	सहायक निदेशक, पूर्णिया	150	3750	15	30.00	23.06	53.00
9	सहायक निदेशक, जमुई	150	3750	15	30.00	16.87	47.00
	Total	1350	33750	135	270.00	133.85	404.00


ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-‘2’

राज्य योजना अंतर्गत “ बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम ” के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि की विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख ₹० में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, समस्तीपुर
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, गोपालगंज
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, सिवान
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	9.13	1.76	0.11	11.00	कोषागार, सीतामढ़ी
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	30.71	5.92	0.37	37.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	33.20	6.40	0.40	40.00	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	39.01	7.52	0.47	47.00	कोषागार, गया
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	34.03	6.56	0.41	41.00	कोषागार, पटना
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	34.86	6.72	0.42	42.00	कोषागार, आरा (भोजपुर)
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	42.33	8.16	0.51	51.00	कोषागार, भागलपुर
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	38.18	7.36	0.46	46.00	कोषागार, सहरसा
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	43.99	8.48	0.53	53.00	कोषागार, पूर्णियाँ
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	39.01	7.52	0.47	47.00	कोषागार, जमुई
	योग-	399.23	76.96	4.81	481.00	

(चार करोड़ इकासी लाख) ₹०

12/11/2026.
ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-‘3’

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत गन्ना क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2023-28 (चतुर्थ कृषि रोड मैप) में कुल 405 गुड़ इकाई लगाने का लक्ष्य है। उक्त योजनांतर्गत चीनी मिल क्षेत्रों में 30 प्रतिशत एवं गैर चीनी मिल क्षेत्रों 70 प्रतिशत गुड़ इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उस क्षेत्र में गन्ने का अभाव है, उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु गैर चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने का रकवा बढ़ाना अति आवश्यक है। साथ ही चीनी मिल काफी समय से बंद रहने के कारण सीमित मात्रा में ही गन्ने की खेती हो रही है, तथा स्थानीय स्तर पर गन्ना बीज की कमी को देखते हुए नये क्षेत्र में गन्ना की खेती के लिए किसानों को बीज की आपूर्ति अतिआवश्यक है। किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण उन्हें बीज के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना अपेक्षित है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में गन्ने की कुल 16 प्रभेदों यथा-CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 की खेती को प्रोत्साहित करने एवं गन्ना क्षेत्र विस्तार हेतु सभी सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा धरातल पर योजना का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु घटकवार निम्नवत् अनुदेश दिया जाता है :-

1. बीज की उपलब्धता :-

योजनांतर्गत सभी सहायक निदेशक (शष्य), ईख विकास को नये क्षेत्रों में गन्ना लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस हेतु सभी सहायक निदेशक, गन्ना बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बीज का चयन अपने निकटवर्ती क्षेत्र, चीनी मिल क्षेत्र, गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान एवं केवीके से भी किया जा सकता है। चयन करते समय गन्ने का बीज स्वस्थ एवं रोगमुक्त हो इस बात का खास ध्यान दिया जाए, बीज के अभाव में इसके प्रमाणिकरण की अनिवार्यता नहीं होगी। गैर चीनी मिल क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार हेतु गन्ना बीज (सेट) अथवा सिंगल बड का चयन पूर्ण रूप से सहायक निदेशक, ईख विकास के अनुसार किया जाएगा।

2. लाभार्थियों का चयन एवं पंजीकरण :-

योजना का लाभ कोई भी नये गन्ना किसान ले सकता है। प्रत्येक किसान को 0.25 एकड़ से अधिकतम 5 एकड़ तक योजनांतर्गत बीज की उपलब्धता कराई जा सकती है। किसान स्वयं केन केयर पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगे। उन्हें बीज की मात्रा एवं रकवा का उल्लेख करना होगा। किसान द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा सत्यापन के उपरांत एक चालान निर्गत किया जाएगा। चालान के अनुसार किसान को बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

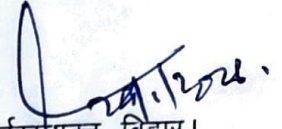
3. बीज सहायता अनुदान :-

गन्ने की खेती हेतु सहायता अनुदान के तौर पर बीज निशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्रों में प्रति एकड़ 25 क्विंटल गन्ना बीज अथवा 10000 बड प्रति एकड़ के लिए अधिकतम 400 रु० प्रति क्विंटल अथवा अधिकतम

02 (दो) रू० प्रति बड के अनुसार बीज मूल्य देय होगा। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित सहायक निदेशक पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

4. परिवहन व्यय/आकस्मिक व्यय :-

स्वीकृत राशि के अधीन वास्तविक व्यय के अनुसार ही राशि का निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।


ईश्वरयुक्त, बिहार।